(b) if so, the details thereof;

(c) how many children are employed in hazardous industries such as Beedi factories, bangles industry, carpet industry, chemical factories etc.;

(d) whether Government have also made a survey to find out the child labour in Madhya Pradesh;

(e) if so, the details thereof; and

(f) what action Government propose to take to improve the lot of child labour in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) The latest Census figures available are with reference to the year 1981. According to this, the number of Child labour in the age group of 0-14 years in the country was 13.6 million. As per the 43rd round of survey conducted by the National Sample Survey in 1987-88, the number of child labour was 17 million. No authentic data on the number of child labour engaged in different industries are available.

(d) and (e) The number of child labour in Madhya Pradesh as per 1981 census was 1,698,597.

(f) There are a number of legislations which prohibit the employment of children below 14 years in certain occupations/processes and regulate their conditions of work in other areas with a view to protect them from exploitation at work and also to improve their working conditions. The National Policy on Child Labour, 1987, *inter alia*, envisages project based plan of action in areas of concentration of child labour and focussing on general development programmes for the benefit of child labour. Financial assistance to voluntary organisations is also provided to take action oriented project.

2076. [*Transferred to the 11th May, 1992.*]

Family pension to workers

2077. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Board of Trustees has formulated any scheme to utilise the portion of the Employers' share of workers' Provident Fund for family pension to the workers;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government have consulted the workers on this matter, and if so, the reaction of the workers thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) The Central Board of Trustees, Employees Provident Fund is a tripartite body consisting of representatives from employees, employers and Government. The Board has unanimously recommended introduction of a suitable Pension Scheme for all provident fund subscribers utilising the employers' share of PF contribution alongwith the existing family pension fund. The Scheme provides for payment of monthly pension in the case of retirement, superannuation, death etc.

खाली पड़े आरक्षित पद

2078. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय में इस वर्ष के प्रारंभ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कितने कितने पद खाली पड़े थे ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पदों को भरने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इन रिक्त पद को कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ग) 1989-90 से श्रम मंत्रालय और स्वायत्त निकायों सहित इसके कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर 940 अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं । 1991-92 के आरम्भ में श्रम मंत्रालय तथा स्वायत्त निकायों सहित इसके कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 423 अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के पद रिक्त थे । इन पदों में से लगभग 55% पदों पर 30-4-1992 तक नियुक्तियां हो चुकी थी । आरक्षित पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है ।

श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति का प्रभाव

2079. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सड़क परिवहन उद्योग से सम्बन्धित श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने के लिए इस उद्योग के संबंध में एक राष्ट्रीय औद्योगिक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) औद्योगिक समिति का कार्य पक्षों के बीच समस्याओं पर बेहतर तालमेल स्थापित करने, समस्याओं के समाधान के लिए सलाह देने तथा विचारों के मतैक्य पर पहुंचने के उद्देश्य से संबद्ध उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उस पर विचार-विमर्श करना है। बाद में सड़क परिवहन से संबंधित औद्योगिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिससे यह उद्योग की रुग्णता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर सके तथा उन समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझा सके। समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

औद्योगिक नीति के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव

अध्यक्ष — श्री पी० ए० संगमा कोयला राज्य मंत्री

(i) **सरकार**

(क) **केन्द्र सरकार**

1. श्रम मंत्रालय	1 सीट
2. भूतल परिवहन मंत्रालय	1 सीट
योग	2 सीट

(ख) **राज्य सरकारें**

आंध्र प्रदेश, गुजरात जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	6 सीट (प्रत्येक को एक सीट)

(ii) **नियोजक**

1. कलकत्ता स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1 सीट
2. यू०पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1 सीट
3. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1 सीट